California डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदन

FOR OFFICIAL USE ONLY

संशोधन 05/2019

चुनाव की तिथि और चुनाव का प्रकार (जैसे, प्राथमिक, सामान्य या विशेष) दर्ज करें। यह आवेदन आपके काउंटी चुनाव अधिकारी को चुनाव की तारीख से सात (7) दिनों पहले प्राप्त होना ज़रूरी है। मतदान की तारीख www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/ पर देखी जा सकती है। यदि आपका यह आवेदन अधूरा है या गलत है, तो आपको एक मतपत्र नहीं भेजा जाएगा।

1. **चुनाव के लिए एक डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए यह एक आवेदन है।** ______________ , ______________
महीना/दिन/साल — चुनाव का प्रकार (जैसे, प्राथमिक, सामान्य या विशेष)

2. **नाम लिखें:** ______________
पहला नाम — मध्याक्षर या छोटे हस्ताक्षर — उपनाम

3. **जन्म की तारीख:** ______________
महीना/दिन/साल

4. **रिहायशी पता:** ______________
नम्बर और सड़क (पोस्ट बॉक्स, ग्राम रूट, आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा) (N, S, E, W बताएं, यदि इस्तेमाल किया जाता है)
____
शहर — ज़िप कोड — California काउंटी

5. **मतपत्र के लिए डाक पता (यदि ऊपर दिये गये पते से अलग है):**
यदि आपका डाक पता अमेरिका के बाहर है, और आप एक सैन्य या विदेशी मतदाता हैं, तो RegisterToVote.ca.gov पर फिर से पंजीकरण करें या www.fvap.gov पर संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन का उपयोग करें।
____
नम्बर और सड़क (पोस्ट बॉक्स, (N, S, E, W बताएं, यदि इस्तेमाल किया जाता है)
____
शहर — राज्य या विदेशी देश — ज़िप कोड या पोस्टल कोड

6. **टेलीफोन नम्बर (वैकल्पिक):** ______________ ______________
दिन — शाम

7. ☐ **हां, मैं राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव के लिए एक राजनीतिक पार्टी के मतदान का अनुरोध करना चाहता/ती हूं।**
मैंने एक योग्य राजनीतिक दल के लिए वरीयता का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, इस प्राथमिक चुनाव के लिए, मैं इस______________ पार्टी के लिए एक डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र का अनुरोध करता/ती हूं।
*यह पता लगाने के लिए कि क्या एक योग्य राजनीतिक दल उन मतदाताओं को अनुमति देगा या नहीं, जिन्होंने किसी राजनीतिक दल के लिए उस राजनीतिक दल के मतपत्र को वोट देने के लिए वरीयता का खुलासा करने से इनकार किया है, राज्य सचिव से (800) 345-8683 पर सम्पर्क करें या www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference पर जाएं।

8. ☐ **जी हां, मैं एक स्थायी डाक-द्वारा-मतदान मतदाता बनना चाहता/ती हूं।**
इस बॉक्स पर निशान लगाकर और यहां हस्ताक्षर करके__________, मैं एक स्थायी डाक-द्वारा-मतदान मतदाता बनने के लिए अनुरोध कर रहा/रही हूं। एक डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र स्वाचालित रूप से भविष्य के सभी मतदानों के लिए भेजा जाएगा। मैं समझता/ती हूं कि यदि मैं लगातार चार राज्यव्यापी आम चुनावों में डाक से वोट देने में विफल रहता/ती हूं, तो मुझे स्थायी डाक-द्वारा-मतदान मतदाता स्थिति के लिए फिर से आवेदन करना होगा।

9. **इस आवेदन पर हस्ताक्षर करना ज़रूरी है।**
मैंने इस चुनाव के लिए किसी और अधिकार-क्षेत्र से डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए आवेदन नहीं किया है। मैं California राज्य के कानूनों के तहत अपराध के दंड के तहत प्रमाणित करता/ती हूं कि इस आवेदन पर मैंने जो जानकारी दी है वह सच्ची और सही है।

हस्ताक्षर ______________ **तारीख** ______________

चेतावनी: झूठ बोलना एक अपराध है, जो राज्य की जेल में चार सालों तक की कैद से दंडनीय है। (दंड संहिता § 126)

नोटिस

आपको इस आवेदन को सीधे अपने काउंटी के चुनाव अधिकारी को मेल करने या वितरित करने का अधिकार है।
अपने काउंटी के चुनाव अधिकारी के अलावा किसी और को यह आवेदन वापस भेजने से देरी हो सकती है जिससे मतदान करने की आपकी क्षमता में रुकावट आ सकती है।
यदि यह आवेदन को डाक द्वारा वापस भेजा जाता है, तो इसे अपने काउंटी के चुनाव अधिकारी को ही वापस लौटाया जाना ज़रूरी है।
केवल पंजीकृत मतदाता ही एक डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए आवेदन कर सकता या सकती है। पंजीकृत मतदाता के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए एक आवेदन किया जाना एक आपराधिक जुर्म है।

इस आवेदन को वितरित करने वाले व्यक्ति/संगठन/समूह
इस आवेदन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले फॉर्मेट का डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदनों को वितरित करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा पालन किया जाना ज़रूरी है। इस फॉर्मेट का पालन न करना एक अपराध है। इस आवेदन को वितरित करने वाला कोई भी व्यक्ति आइटम 5 में एक डाक पते को पहले से नहीं छाप सकता है।
किसी मतदाता को यह आवेदन प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का उनका नाम, पता, और टेलीफोन नम्बर यहां दर्ज करना ज़रूरी है:

____

____

इस आवेदन का उपयोग कौन कर सकता है

एकसार California डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदन का केवल एक पंजीकृत मतदाता द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है। यदि आपने अब तक मतदान के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आप RegisterToVote.ca.gov से राज्य सचिव की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर मतदान के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। आप अपने काउंटी मतदान कार्यालय, पुस्तकालय, या अमेरिकी डाक सेवा कार्यालय पर जाकर भी एक मतदाता पंजीकरण कार्ड ले सकते हैं। आपके द्वारा पूरे किये हुए मतदाता पंजीकरण कार्ड को चुनाव से कम से कम 15 दिनों पहले ऑनलाइन जाकर या अपने काउंटी मतदान कार्यालय में जाकर सबमिट करना ज़रूरी है।

डाक द्वारा मतदान करने के लिए, आप इस डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदन का उपयोग कर सकते हैं, चुनाव से पहले डाक में प्राप्त होने वाली काउंटी मतदाता सूचना गाइड में दिये गये फॉर्म का उपयोग करें, या अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। काउंटी की सम्पर्क जानकारी www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/ पर ऑनलाइन जाकर प्राप्त की जा सकती है।

यह डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदन किसी भी ऐसे व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा इस्तेमाल किये जाने के लिए राज्य सचिव (Secretary of State, SOS) द्वारा प्रदान किया जाता है जो डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदनों को उन चुनावों के लिए वितरित कर रहे हैं जिनमें एक से अधिक काउंटियाँ शामिल हैं। एकल काउंटी को शामिल करने वाले चुनावों के लिए आवेदनों को वितरित करने वाले संगठनों के लिए, उचित आवेदन प्रारूप और बारकोड जानकारी के लिए काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

California निवासी जो सेना में सेवारत हैं और उस काउंटी से अनुपस्थित हैं जहां वे मतदान करने के लिए पात्र हैं, और विदेश में रहने वाले या अध्ययन करने वाले California निवासी एक सैन्य या विदेशी मतदाता के रूप में, ऑनलाइन RegisterToVote.ca.gov पर जाकर या संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन (Federal Post Card Application, FPCA) के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसा करना आपके मतपत्र को प्राप्त करने के अधिक विकल्प प्रदान करता है और प्राथमिकता सेवा को सुनिश्चित बनाता है। FPCA और सैन्य और विदेशी मतदाताओं के लिए अन्य ज़रूरी जानकारी www.fvap.gov पर उपलब्ध है।
इस आवेदन को कैसे भरा जाए

मद 1. उस चुनाव की तारीख जिसमें आप मतदान करना चाहते हैं (महीना, दिन, साल), और चुनाव का प्रकार (जैसे, प्राथमिक, सामान्य या विशेष) दर्ज करें।

मद 2. अपना पहला, मध्य, और उपनाम लिखें जैसे कि वे आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर नज़र आते हैं।

मद 3. अपने जन्म की तारीख इस क्रम में लिखें – महीना, दिन, साल।

मद 4. अपने मतदान निवास का पूरा सड़क का पता लिखें। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स या ग्रामीण रूट स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मद 5. डाक द्वारा पता जानकारी को मतदाता द्वारा पूरा किया जाना ज़रूरी है। वह पूरा पता लिखें जहाँ आप अपना मतपत्र भेजना चाहते हैं यदि वह मद 4 में दिए गए निवास पते से अलग है।

मद 6. अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर चुनाव कार्यालय को आपसे संपर्क करने की अनुमति देने के लिए अपना टेलीफोन नंबर (वैकल्पिक, आवश्यक नहीं) लिखें।

मद 7. इस मद 7 को केवल तभी पूरा करें जबकि यह आवेदन एक राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव के लिए है और आपने मतदान करने के लिए पंजीकृत होते समय किसी राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता नहीं चुनी थी। यदि आपने मतदान करने के लिए पंजीकृत होते समय किसी राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता नहीं चुनी थी, तो आपको कोई पार्टी प्राथमिकता नहीं वाले मतदाता के रूप में माना जाता है और यदि वह राजनीतिक दल ऐसा करने की अनुमति देता है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रपति के मतपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजनीतिक दल का चेकऑफ़ बॉक्स और नाम मतदाता द्वारा पूरा किया जाना ज़रूरी है। यदि आप राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के मतपत्र का अनुरोध नहीं करने का चयन करते हैं, तो आपको एक गैर-पक्षपाती मतपत्र प्रदान किया जाएगा जिसमें मतदाता-नामांकित और गैर-पक्षपाती कार्यालयों (इसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शामिल नहीं हैं) के लिए उम्मीदवारों के नाम और विधेयक शामिल होंगे, यदि कोई हों तो, जिन पर राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में मतदान किया जाना है।

मद 8. कोई भी पंजीकृत मतदाता भविष्य के सभी चुनावों में स्थायी डाक-द्वारा-मतदान मतदाता बॉक्स पर निशान लगाकर और लाइन की शुरुआत करके स्वचालित रूप से एक डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र प्राप्त कर सकता है। कोई भी मतदाता अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से सीधे सम्पर्क करके स्थायी डाक-द्वारा-मतदान स्थिति से किसी भी समय अपना नाम वापस ले सकता/ती है।

मद 9. हस्ताक्षर करें और इस क्रम में तारीख डालें - महीना, दिन, साल। किसी गवाह या नोटरी की आवश्यकता नहीं होती है।

आवेदन कैसे सबमिट करवाया जाए

अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र आवेदन को चुनाव से कम से कम 7 दिनों पहले अपने काउंटी चुनाव अधिकारी को वापस भेजना ज़रूरी है। हालांकि, यदि आप चुनाव से पहले अंतिम सप्ताह के दौरान बीमार या विकलांग हो जाते हैं, या आपको लगता हैं कि आप चुनाव के दिन अपने मतदान स्थल पर जाने में असमर्थ होंगे, तो आप आपके काउंटी चुनाव अधिकारी के पास झूठी गवाही के दंड के तहत हस्ताक्षरित एक लिखित बयान पेश करके, एक डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस बयान पर आपका नाम और निवास का पता, जिस पते पर आप मतपत्र भिजवाना चाहते हैं, उस चुनाव का नाम और तारीख जिसमें आप मतदान करना चाहते हैं, आपके हस्ताक्षर और तारीख शामिल होना ज़रूरी है। आप किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव अधिकारी से मतपत्र प्राप्त करने के लिए, और/या मतपत्र को आपके द्वारा मतदान किये जाने के बाद चुनाव अधिकारी को वापस भेजने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

यदि यह आवेदन को डाक द्वारा वापस भेजा जाता है, तो इसे अपने काउंटी के चुनाव अधिकारी को ही सीधे वापस लौटाया जाना ज़रूरी है।

कृपया आवेदनों को राज्य सचिव के कार्यालय में ना भेजें। ऐसा करने से आवेदन प्रक्रिया में देरी होगी।

आप अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी का पता और टेलीफोन नम्बर, राज्य सचिव की वेबसाइट www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/ पर देख सकते हैं।

आवेदन पर पहले से क्या प्रिंट किया जा सकता है

राज्य के कानून के अनुसार मतदाता को व्यक्तिगत रूप से अपने हस्ताक्षर करना और उस पते का लिखा जाना आवश्यक है, जिस पर मतपत्र को भेजा जाना है।

यदि कोई संगठन इस आवेदन को वितरित कर रहा है, तो उस आवेदन पर वितरण को अधिकृत करने वाले संगठन का नाम, पता, और टेलीफोन नम्बर लिखा होना ज़रूरी है।

सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मतदाता को आवेदन पर सारी जानकारी भरनी चाहिए। हालांकि, आवेदन को वितरित करने वाला कोई व्यक्ति, समूह, या संगठन, निम्नलिखित को पहले से प्रिंट कर सकता है:

- मतदाता का प्रिंट किया हुआ नाम और घर का पता जैसा कि वह मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दिखाई देता है।
- उस चुनाव का नाम और तारीख जिसके लिए मतपत्र का अनुरोध किया गया है।
- आवेदन के वितरण को अधिकृत करने वाले व्यक्ति, समूह, या संगठन का नाम, पता, और टेलीफोन नम्बर।